न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 56/2022

1 रूपचंद्र पुत्र कुरड़ाराम जाति मेघवाल उम्र 46 साल निवासी ग्राम हीरवाना तन मैनपुरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 धर्मेन्द्र पुत्र झाबर
2 अनिल कुमार पुत्र झाबर
3 राजकुमार पुत्र झाबर
4 मोहनी पत्नी झाबर
5 दीपचन्द पुत्र हीराराम
6 रमेश पुत्र झाबर
7 रामोतार पुत्र हीराराम
8 कमलचंद पुत्र मदनलाल
9 कौशल्या पत्नी मदनलाल
10 खेमचन्द पुत्र मदनलाल
11 कैलाशचन्द्र पुत्र कुरड़ाराम
12 बनारसी देवी पत्नी नाहरसिंह
13 राजेन्द्र कुमार पुत्र नाहरसिंह
14 अमित कुमार पुत्र नाहरसिंह
15 किरण पुत्री नाहरसिंह
16 बिमला देवी पत्नी नाहरसिंह
17 सुशील कुमार पुत्र नाहरसिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समस्त जाति मेघवाल निवासी ग्राम हीरवाना तन मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

18 नायब तहसीलदार एवं उप पंजीयक गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

19 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

20 मैनेजर एस.बी.बी.जे बैंक गुढागौड़जी वर्तमान एस.बी.आई ाखा गुढ़ागौड़जी

21 मैनेजर यूको बैंक गुढ़ा गौड़जी जरिये ाखा प्रबंधक

22 मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक ाखा पोंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मु.नं. 202/2021 पुराना 148/2021, आरसीएमएस नम्बर 00454/2019 निर्णय दिनांक 13.04.2022 उनवानी धर्मेन्द्र वगेरह बनाम रमेश वगै. दावा बाबत अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री रविन्द्र लाम्बा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामसिंह झांझड़िया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 9.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 202/2021 में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायायल में वादी रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 5 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 230, 231 वाके हीरवाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मौके पर अवस्थित नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी स्थान तक राज्य सरकार के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित 10 फुट चौड़ी सी.सी रोड़ चालू है जिसमें से अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 सभी की भूमियां लगी हुई है, जिससे होकर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 सभी अपनी भूमि में बने रिहायशी मकान व काश्त की भूमि में अनवरत आते–आते रहते है व वर्तमान में भी आ–जा रहे है तथा सभी ने अपने मकान आदि भी इसी सी.सी.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

सड़क के किनारे बना रखे हैं (जिसे अपील के साथ संलग्न नजरी नक्शा में काले रंग से दर्शाया है)। अगर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 को जरूरत है तो उक्त रास्ते को सभी की सहमती से चौड़ा किया जा सकता है जिससे अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगायत 17 को कभी कोई आपत्ति नहीं थी और न ही वर्तमान में है। उक्त रास्ते से ही अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 सभी अपनी अपनी भूमि में काश्त करने के लिए जुताई के लिए ट्रेक्टर, ट्राली आदि लाते–ले जाते है व फसल को लाट–बांट करने के लिए काम में लेते आ रहे है। इसलिए नये रास्ते की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 को कोई जायज आवश्यकता नहीं है और अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगायत 17 के खेत, कृषि भूमि में से पहले से सी.सी. रोड़ कायम होते हुए एक ओर रास्ते का दिया जाना न्यायोचित नहीं है वरन गैरकानूनी है। और धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन है। पहले से मौजूद वैकल्पिक रास्ते की मौजूदगी के रहते काश्तकार की भूमि में से अन्य रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अगर आवश्यक हो तो इसे चौड़ा किया जा सकता है। यही नियम व कानून है। जिसका विचारण न्यायालय ने सही से अवलोकन ही नहीं किया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है व धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा यह है कि कोई वैकल्पिक रास्ते की गैर मौजूदगी में नया रास्ता बनाया जावे अन्यथा विद्यमान रास्ते को चौड़ा किया जावे इससे कृषि भूमि को अनावश्यक बर्बाद होने से बचाया जाए व भविष्य में अनावश्यक मुकदमे बाजी से बचने के विकल्प को ध्यान में रखकर मामले को मैरिट के आधार पर फैसला किया जाना चाहिए। जिससे पक्षकारान को समुचित न्याय मिल सके। इस मामले में ऐसा नहीं होने के कारण उक्त प्रकरण में आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है सुविधा का संतुलन व अपार क्षति का बिंदु भी अपीलांट के हक में है। यदि गलत निर्णय की आड़ में अपीलांट के हिस्से को वैकल्पिक रास्ते की मौजूदगी के बावजूद एक और नया रास्ता बनाकर खुर्द–बुर्द करने में सफल हो जाते है तो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

अपीलांट का अपील पेश करना ही व्यर्थ हो जायेगा। अपीलांट को होने वाली अपूरणीय क्षति के बिन्दु को तथा सुविधा संतुलन के बिन्दु को विचारण न्यायालय ने नजर अंदाज किया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने ग्राम हीरवाना पटवार हल्का मैनपुरा की सरहद में अवस्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 620/231 रकबा 1.13 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 1.75 हैक्टेयर में आवागमन वास्ते खसरा नम्बर 231, 621/231 रकबा क्रमशः 1.74 है., 1.74 है. की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 15 फीट चौड़ा रास्ता जो नजरी नक्शे में ए, बी, सी बिन्दुओं से दर्शाया है चाहा गया है। तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट में सी.सी. रोड़ जो खसरा नम्बर 621/231 में जाती है उस पर लौहे का गेट लगा रखा है तथा सी.सी. रोड़ के पास बाथरूम व डंडा बना कर लगभग 30 मीटर तक रोड़ को 5 फीट तक सकड़ा कर रखा है व एक तरफ पेड़ लगा रखे है। सी. सी. रोड़ खसरा नम्बर 231 से आगे की दूरी 60 मीटर है। लेकिन इधर से पक्का निर्माण होने व रास्ता सकड़ा होने के कारण आवागमन नहीं हो सकता है। तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी की मौका जांच रिपोर्ट में दर्शित प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता भूमि खसरा नम्बर 621/231, 231 की पश्चिमी सीमा के सहारे रास्ते की लम्बाई खसरा नम्बर 621/231 में 59 मीटर तथा खसरा नम्बर 231 में 3 मीटर कुल दुरी 96 मीटर कुल क्षेत्रफल 96 मीटर x 4 मीटर = 384 वर्ग मीटर रास्ता सुगम व न्यूनतम दूरी का होने के कारण दिया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

ग्राम हीरवाना पटवार हल्का मैनपुरा की सरहद में अवस्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 620/231 रकबा 1.13 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 1.75 हैक्टेयर में आवागमन वास्ते खसरा नम्बर 231, 621/231 रकबा क्रमशः 1.74 है., 1.74 है. की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 15 फीट चौड़ा रास्ता जो नजरी नक्शे में ए, बी, सी बिन्दुओं से दर्शाया है चाहा गया है। तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट में सी.सी. रोड़ जो खसरा नम्बर 621/231 में जाती है उस पर लौहे का गेट लगा रखा है तथा सी.सी. रोड़ के पास बाथरूम व डंडा बना कर लगभग 30 मीटर तक रोड़ को 5 फीट तक सकड़ा कर रखा है व एक तरफ पेड़ लगा रखे है। सी.सी. रोड़ खसरा नम्बर 231 से आगे की दूरी 60 मीटर है। लेकिन इधर से पक्का निर्माण होने व रास्ता सकड़ा होने के कारण आवागमन नहीं हो सकता है। तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी की मौका जांच रिपोर्ट में दर्शित प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता भूमि खसरा नम्बर 621/231, 231 की पश्चिमी सीमा के सहारे रास्ते की लम्बाई खसरा नम्बर 621/231 में 59 मीटर तथा खसरा नम्बर 231 में 3 मीटर कुल दुरी 96 मीटर कुल क्षेत्रफल 96 मीटर x 4 मीटर = 384 वर्ग मीटर रास्ता सुगम व न्यूनतम दूरी का होने के कारण दिया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से धारा 251 ए का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूँ)